महाराजासूरजमलबृजविश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर-321201

Email-academic@msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक :– प. 1(11)मसूबृवि/बोम/2021/ दिनांक :06.04.2021

दिनांक : 06 अप्रैल 2021 को आयोजित प्रबन्ध–मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण

मा कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध–मण्डल की बैठक दिनांक 06.04.2021 को प्रातः 11:30 बजे विश्वविद्यालय के चक सकीतरा स्थित नवीन परिसर के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1. प्रो. राजेश कुमार सिंह धाकरे, मा. कुलपति, म.सू.बृज विश्वविद्यालय, कुम्हेर, भरतपुर
2. श्री चन्द्र प्रकाश राजन, वित्त नियंत्रक, मनोनीत सदस्य, प्रमुख सचिव वित्त विभाग, जयपुर
3. डा. रमेश चन्द्र पाठक, राजभवन, तमसा मार्ग, अकबरपुर, जिला – अम्बेडकर नगर (उ0प्र0) माननीय मनोनीत सदस्य, मा. कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय
4. प्रो. जे.पी. शर्मा, माननीय मनोनीत सदस्य, मा. कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय (ऑन लाइन), पूर्व कुलपति, उदयपुर विश्वविद्यालय
5. प्रो. जे.पी. यादव, माननीय कुलपति, मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार
6. श्री रोहित बोहरा, माननीय विधायक, राजाखेडा, मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार (ऑन लाइन)
7. श्रीमती जाहिदा खान, माननीया विधायक, काँमा, मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार (ऑन लाइन)
8. डा. सोहन लाल मीना, माननीय मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार, जोधपुर विश्वविद्यालय
9. डा. आई.पी. सिंह, माननीय डीन फैकल्टी ऑफ आर्टस, मनोनीत सदस्य, मा. कुलपति महोदय (ऑन लाइन)
10. डा. नीलू गोयल, माननीया डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, मनोनीत सदस्य, मा. कुलपति महोदय
11. श्री राजू लाल गुर्जर, माननीय कुलसचिव, सदस्य सचिव

अध्यक्ष/कुलपति महोदय ने प्रबन्ध–मण्डल के सभी उपस्थित सदस्यों व नए सदस्यों का बैठक में स्वागत किया तथा नए सदस्यों का सदन में परिचय कराया।

बैठक में निम्नलिखित एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए–

क्र.सं			विभाग
1	एजेण्डा बिन्दु	दिनांक 18.03.2019 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण संलग्न कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–1)	

	निर्णय	i) सम्मानित सदस्य प्रो0 सोहनलाल मीना ने निर्धारित समय सीमा में बोम की बैठक कराए जाने की बात रखी। अध्यक्ष एवं कुलपति प्रो0 राजेश धाकरे ने इस विषय में सदन को अवगत कराया कि उनके कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण देशभर में लॉकडाउन हो गया। इसी मध्य कुलसचिव, उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिवगण सहित अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी कोरोना प्रभावित हो जाने के कारण तथा लॉकडाउन के तुरन्त बाद नये भवन के लोकार्पण, विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति संख्या (2), बोर्ड बॉफ स्टडीज का आयोजन (संख्या 32), विद्या परिषद का आयोजन संख्या 02, मुख्य परीक्षा का आयोजन के कारण यह बैठक समय पर नहीं बुलाई जा सकी। कुलपति ने सदन को आश्वस्त किया कि भवष्यि में नियमानुसार प्रबन्ध–मण्डल की बैठक आहूत की जायेगी। ii) रिपोर्टिंग आइटम नं0 3 पर मा0 सदस्य श्री रोहित बोहरा द्वारा पूर्व की बैठक में क्रय हेतु अनुमोदित बसों को शीघ्र क्रय किये जाने की बात कही गई। श्री रोहित बोहरा द्वारा बताया गया कि कुलपति महोदय को प्रबन्ध मण्डल द्वारा 10 लाख रूपये तक व्यय करने की अनुमति दी गई थी, आवश्यकता पड़ने पर इस सीमा को 20 लाख रूपये कर दिया जाय। कुलपति प्रो0 धाकरे ने अवगत कराया कि पूर्व में बसों को खरीदे जाने हेतु वित्त विभाग राज्य सरकार को अनुमति हेतु पत्र लिखा गया है जिसका उत्तर आना शेष है। साथ ही कोरोना के कारण वित्त विभाग राजस्थान सरकार ने 03 सितम्बर 2020 के अनुसार वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा रखा है जिस कारण नई बसों का क्रय नहीं किया जा सका। कुलाधिपति एवं राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य प्रो0 जे.पी. शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि यह राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय है, अतः बस क्रय करने की सहमति राज्य सरकार से भी लेना उचित होगा। सदन ने इस बात पर सहमति दी कि बसों के क्रय के सन्दर्भ में राज्य सरकार की सहमति हेतु पत्र लिखा जाय तथा उसकी प्रति दोनों विधायक सदस्यगण को भी भेजी जाए जिससे इस प्रकरण के त्वरित निष्पादन में उनका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहे। iii) मा0 सदस्य श्री रोहित बोहरा जी द्वारा पं. मिश्री लाल कॉलेज की विगत बोम बैठक में दर्ज कराई गई शिकायत के विषय में रिपोर्ट माँगी गई। कुलसचिव ने सदन को सूचित किया कि जाँच के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज को सत्र 2019–20 व 2020–21 की सम्बद्धता नहीं दी गई है। कॉलेज के निरीक्षण दल की रिपोर्ट सदन के	संस्थापना एवं सम्बद्धता शाखा

		पटल पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई। सदन ने कार्यवाही पर सन्तोष व्यक्त किया। *दिनांक 18.08.2019 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।*	
2	एजेण्डा बिन्दु	दिनांक 18.08.2019 के कार्यवाही विवरण पर लिए गए निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट संलग्न कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–2)	
	निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	समस्त विभाग
3	एजेण्डा बिन्दु	मा. कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 44(1) आरवी/2012/1267 दिनांक 18 फरवरी 2020 के द्वारा प्रो. राजेश कुमार सिंह धाकरे, तत्कालीन अध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग, डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया। जिसकी पालना में प्रो. राजेश कुमार सिंह धाकरे द्वारा दिनांक 20.02.2020 बृहस्पतिवार को अपराह्न कुलपति का पदभार ग्रहण कर लिया गया। प्रबन्ध–मण्डल के सूचनार्थ प्रेषित।	
	टिप्पणी	प्रो0 राजेश कुमार सिंह धाकरे द्वारा दिनांक 20.02.2020 को कुलपति का पदभार ग्रहण करने पर सभी सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया।	कुलपति सचिवालय
4	एजेण्डा बिन्दु	प्रबन्ध–मण्डल की विगत बैठक दिनांक 18.08.2019 के बाद विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अधिकारी कुलसचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं– 1. डा. राजेश गोयल दिनांक 25.10.2019 तक कार्यरत रहे। 2. श्री हेमन्त स्वरूप माथुर दिनांक 02.12.2019 से 03.08.2020 तक कार्यरत रहे। 3. श्री शौकत अली दिनांक 04.08.2020 से 15.01.2021 तक कार्यरत रहे। 4. श्री राजूलाल गुर्जर दिनांक 18.01.2021 से आदिनांक तक कार्यरत हैं। प्रबन्ध–मण्डल की विगत बैठक के बाद विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अधिकारी वित्त नियंत्रक के पद पर कार्यरत रहे हैं– 1. श्री चन्द्र प्रकाश राजन दिनांक 01 अक्टूबर 2019 से आदिनांक तक कार्यरत हैं। प्रबन्ध–मण्डल के सूचनार्थ प्रेषित।	
	टिप्पणी	संज्ञान में लिया गया।	संस्थापना शाखा
5	एजेण्डा बिन्दु	विश्वविद्यालय में नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों व कार्मिक ने उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को राज्य सरकार के नियमानुसार अपना दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया है– 1. डा. अरूण कुमार पाण्डेय, उपकुलसचिव दिनांक 09.05.2019 2. श्री प्रशान्त कुमार, सहायक कुलसचिव दिनांक 06.05.2019	

		3. डा. फरबट सिंह, सहायक कुलसचिव दिनांक 09.05.2019 4. कुमारी श्रीम्, विधि सहायक दिनांक 13.09.2019 प्रबन्ध–मण्डल के सूचनार्थ प्रेषित।	
	निर्णय	उपरोक्त सभी अधिकारियों व कार्मिक के परिवीक्षाकाल पूर्ण होने तथा उनकी सेवा नियमित किए जाने का सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।	संस्थापना शाखा
6	एजेण्डा बिन्दु	मा. कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय के कर–कमलों द्वारा दिनांक 23.08.2020 को विश्वविद्यालय के चक सकीतरा स्थित नव निर्मित भवन का उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। राज्यपाल महोदय ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय में प्रस्तावित संविधान पार्क का शिलान्यास भी किया। प्रबन्ध–मण्डल के सूचनार्थ प्रेषित।	
	निर्णय	सभी सदस्यों ने विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन मा0 राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा करने पर सभी सदस्यों ने मा. कुलपति महोदय, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी।	संस्थापना शाखा एवं प्रभारी संविधान पार्क
7	एजेण्डा बिन्दु	मा. कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र के आदेशों की पालना में विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षान्त समारोह दिनांक 10 मार्च 2021 को आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता मा. राज्यपाल ने ऑनलाइन/वर्चुअल माध्यम से की। समारोह के मुख्य अतिथि प्रो. देवी सिंह (पूर्व निदेशक आई.आई.एम. लखनऊ, पूर्व निदेशक, एम.डी. आई.गुरूग्राम, पूर्व कुलपति फ्लेम यूनिवर्सिटी, पुणे) रहे। समारोह में वर्ष 2018–19 एवं 2019–2020 की परीक्षाओं में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले स्नातक एवं स्नातकोत्तर के कुल 79 विद्यार्थियों को क्रमशः चान्सलर पदक, एण्डाओमेन्ट पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं डिग्रियां वितरित की गईं। प्रबन्ध–मण्डल के सूचनार्थ प्रेषित।	
	टिप्पणी	प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों ने विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षान्त समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किये जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी। सदस्यों ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2019 के साथ–साथ वर्ष 2020 के स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं के लिए भी दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया। साथ ही भरतपुर के ही मूल निवासी तथा देश में उच्च अकादमिक पद प्राप्त कर चुके महानुभाव को दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमन्त्रित कर उल्लेखनीय/प्रशंसनीय कार्य किया है।	अकादमिक प्रधम एवं दीक्षान्त प्रभारी
8	एजेण्डा बिन्दु	विद्या परिषद की दिनांक 20.08.2020 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन। (परिशिष्ट–3)	
	निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों ने पूर्व में अनुमोदित शोध अध्यादेश को दोबारा संशोधन कर तैयार करने के लिए निर्देशित किया। मा0 अध्यक्ष एवं कुलपति महोदय ने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों का स्थानान्तरण होता है अतः उन्हें यू.जी.सी. के नियमानुसार शोध निर्देशक बनाये जाने के पश्चात इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर शोधार्थियों को शोध कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस कारण निर्देशक बनाये जाने में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त कई विषयों में राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने के चलते निजी महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी शोध निर्देशक बनाया गया है।	शोध शाखा एवं संस्थापना शाखा

		इस पर निर्णय लिया गया कि चूंकि राजस्थान में राजकीय शिक्षकों की सेवा स्थानान्तरणीय ही है इसलिए इस परिस्थिति में उन्हें शोध निर्देशक बनाये जाना/रखना उचित होगा। प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि निजी महाविद्यालयों के वे ही शिक्षक शोध निर्देशक बनाये जायेंगे जिनका चयन एवं अनुमोदन विश्वविद्यालय के नियमानुसार विधिवत गठित चयन समिति द्वारा हुआ है तथा जो शोध निर्देशक बनने हेतु निर्धारित यू.जी.सी. मापदण्ड पूर्ण करते हों **एवं उनकी न्यूनतम पाँच वर्ष की नियुक्ति संबन्धित शोध केन्द्र के नजदीक होने पर,** प्रबन्ध–मण्डल द्वारा स्वीकृत किया है। *दिनांक 20.08.2021 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।*	
9	एजेण्डा बिन्दु	दिनांक 03.09.2020 को आयोजित वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन। (परिशिष्ट–4)	
	निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों द्वारा वित्त समिति के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। प्रबन्ध मण्डल के मा0 सदस्य श्री रोहित बोहरा जी ने धौलपुर के कन्या महाविद्यालय एवं राजाखेड़ा के राजकीय महाविद्यालय के लिए बस खरीदने का प्रस्ताव किया। उस पर अन्य सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालय है अतः मा0 कुलपति महोदय राज्य सरकार से सहमति लेकर ही बस क्रय करने की कार्यवाही करें। यह भी कहा गया कि इस तथ्य की जाँच कर ली जाये कि क्या अन्य राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा भी सम्बद्ध महाविद्यालयों हेतु बस की व्यवस्था कराई गई है! साथ ही प्रस्ताव की प्रति राज्य सरकार के वित्त विभाग के साथ–साथ प्रबन्ध मण्डल के विधायक सदस्यों को भी प्रेषित की जाये जिससे राज्य सरकार से स्वीकृति दिलाने में मदद हो सके। विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये बजट प्रस्ताव को भी प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन किया गया।	लेखा शाखा
10	एजेण्डा बिन्दु	विद्या परिषद की दिनांक 17.02.2021 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन। (परिशिष्ट–5)	
	निर्णय	i) विद्या परिषद की कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु यू.जी.सी. 2018 के विनियमन का अनुसरण करे साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा अपना रोस्टर रजिस्टर तैयार किया जाकर एक रोस्टर समिति बनाई जाये जरूरत के अनुसार रोस्टर समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर बोम से अनुमोदन कराकर नई नियुक्तियाँ करने हेतु कार्यवाही की जाये। ii) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में शिक्षकों की स्थाई नियुक्ति होने तक शिक्षकों की	प्रभारी भर्ती

		अस्थाई व्यवस्था हेतु अपनाई जाने वाली Adjunct Faculty की व्यवस्था के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल सदस्य प्रो0 सोहन लाल मीणा जी ने आपत्ति व्यक्त की। प्रो0 मीणा ने कहा कि अस्थाई व्यवस्था एवं विकल्पों के स्थान पर विश्वविद्यालय को स्थाई नियुक्तियों हेतु भर्ती के तुरन्त प्रयास करने चाहिए। इस पर प्रबन्ध मण्डल के मा0 सदस्य प्रो0 जे.पी. शर्मा जी ने अपना मत रखते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में स्थाई नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत अधिक समय लेने वाली होती है तथा कई विश्वविद्यालयों की नियुक्ति प्रक्रियाएँ विवाद के घेरे में रहीं हैं। इन समस्याओं से बचने तथा कक्षाओं को सुचारू रखने हेतु विश्वविद्यालय गैस्ट फैकल्टी/Adjunct Faculty की व्यवस्था अपने स्तर पर करे। मा0 कुलपति महोदय ने स्पष्ट किया कि Adjunct Faculty की व्यवस्था यू.जी.सी. के नियमानुसार राज्य के दो अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा भी की गई है। अपने विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 12(F) की स्वीकृति एवं NAAC ग्रेड हेतु अग्रिम कार्यवाही शीघ्र की जानी है। अतः अनुमति शिक्षकों की शीघ्र आवश्यकता है। अतः Adjunct Faculty को विश्वविद्यालय में शिक्षण/शीघ्र कार्य के लिये एक उचित मानदेय पर आमंत्रित किया जा सकता है। प्रस्ताव के समर्थन में मा0 सदस्य प्रो0 जे.पी. यादव ने कहा कि राज्य सरकार की 'विद्या संबलन' योजना में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। प्रस्ताव का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। *दिनांक 17.02.2021 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।*	
11	एजेण्डा बिन्दु	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों व उनके आश्रितों के इलाज हेतु डाक्टर एवं हॉस्पीटल की सूची दिनांक 20.07.2018 से प्रभावी कर 12(6) में अनुमोदित की गई थी। माननीय तत्कालीन कुलपति महोदय ने दिनांक 14.11.2018 में अंकित सूची के कम संख्या 3 के बाद निम्नलिखित डॉक्टर्स एवं हॉस्पीटलों को शामिल किया गया है– (a) Dr. Hoti Lal Gupta, Gupta Dental Clinic Kishan Marg, Barkat Nagar, Jaipur (b) Dr. Vinod Gupta Hospital, Rejendra Nagar, Bharatpur (c) Dr. Pradeep Hospital and Fracture Clinic, Bharatpur (d) Dr. Jindal Hospital, Mukharji Nagar, Bharatpur. (परिशिष्ट–6)	
	निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया साथ ही प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई चिरंजीवी योजना के तहत अंशदान कर विश्वविद्यालय के सभी कार्मिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करवाई जा सके, जिसको स्वीकृत किया गया।	संस्थापना शाखा
12	एजेण्डा बिन्दु	तत्कालीन कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 की धारा 12(6) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए दिनांक 21.09.2019 को प्राचार्य एवं स्टाफ के प्रकिया शुल्क के बारे में कुछ निर्णय लिये थे। आदेश की प्रति संलग्न कर प्रबन्ध–मण्डल	

		के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–7)	
	निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	अकादमिक द्वितीय
13	एजेण्डा बिन्दु	तत्कालीन कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 की धारा 12(6) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए दिनांक 30.10.2019 को आदेश जारी किया कि विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ में अवकाश प्राप्त शिक्षकों को लगाया जाय, किन्तु अवधि 175 दिनों से अधिक नहीं हो जिसको एक निश्चित अवधि का अन्तराल कर पुर्ननियोजित किया जा सकता है। आदेश की प्रति संलग्न कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–8)	
	निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	संस्थापना शाखा
14	एजेण्डा बिन्दु	तत्कालीन कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 की धारा 12 (6) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए दिनांक 11.11.2019 को आदेश जारी किया कि शोधपीठ की स्थापना "महाराजा सवाई किशन सिंह बृज एरिया स्टडी चेयर" के नाम से की जाय, इस हेतु अलग से 175 दिनों के लिए आवश्यक स्टाफ नियुक्त किया जाय। जिसकी स्थापना के लिए 01 लाख एवं संचालन के लिए 2 लाख की राशि आवंटित की जानी प्रस्तावित है। आदेश की प्रति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–9)	
	निर्णय	मा0 सदस्य प्रा0 सोहन लाल मीना ने धारा 12(6) के बारम्बार प्रयोग अन्तर्गत निर्णय किए जाने पर विशेष आपत्ति की तथा सभी निर्णयों को Review किए जाने तथा अपरिहार्य एवं आपातकाल की दशा में ही इसका प्रयोग किए जाने की बात उठाई। मा0 अध्यक्ष एवं कुलपति ने सदन को अवगत कराया कि बिन्दु संख्या 13, 14 व 15 में लिए गए निर्णय निवर्तमान कुलपति के हैं तथा उनके (प्रो0 धाकरे) द्वारा अभी तक धारा 12(6) की आपातकालीन शक्तियों का एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है तथा मा0 सदस्यगण श्री रोहित बोहरा तथा प्रो0 जे.पी. शर्मा ने पूर्व कुलपति प्रो0 अश्वनी कुमार बंसल द्वारा दिनांक 18.08.2019 की बोम बैठक के बिन्दु संख्या 6.4 में लिए गए निर्णयों का उनके (प्रो0 बंसल) सेवानिवृत हो जाने तथा कार्यों के अमल में लाए जा चुकने की दशा में अनुमोदित किए जाने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में बोम के निर्णय की प्रत्याशा में	अकादमिक प्रथम एवं शोध शाखा

		कुलपति द्वारा धारा 12(6) की शक्तियों के प्रयोग पर रोक लगाए जाने को बोम की सीमा से बाहर बताते हुए उसे जारी रखने के विचार रखे। जिसका सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया। परिशिष्ट–9 का अनुमोदन किया गया।	
15	एजेण्डा बिन्दु	दिनांक 03.03.2020 व दिनांक 26.08.2020 को आयोजित निरीक्षण मण्डल की बैठकों के कार्यवाही विवरण का कार्योत्तर अनुमोदन। (परिशिष्ट–10 व 11)	
	निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	अकादमिक द्वितीय शाखा
16	एजेण्डा बिन्दु	विश्वविद्यालय द्वारा क्लर्क एवं स्टेनोग्राफर के आवेदन आमंत्रित किये गये थे किन्तु इसी दौरान राजभवन के पत्रांक एफ.1(ए) (4)आरबी/2019/3133 दिनांक 16.04.2019 के द्वारा ग्रेड–पे 3600 तक की समस्त भर्तियाँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा कराई जाने की अनुशंषा की गई थी। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा इस दिशा में पत्राचार किया गया। वर्तमान स्थिति में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि माह अप्रैल में उक्त कार्मिक उपलब्ध करा दिये जायेंगे। कुलसचिव द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि विश्वविद्यालय में कार्याधिक्य को ध्यान में रखते हुए यह उचित होगा कि पूर्व में क्लर्क एवं स्टेनोग्राफर की भर्ती हेतु जारी किये गये विज्ञापन को निरस्त किया जाकर अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क को उन्हें लौटाया जाए तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पत्र प्रेषित कर शीघ्रातिशीघ्र कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया जाय। बिन्दु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
	निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	संस्थापना शाखा
17	एजेण्डा बिन्दु	विश्वविद्यालय के अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के संचालन की व्यवस्था एक ही स्थान पर छात्रों व शिक्षकों की सुविधा हेतु किये जाने के क्रम में पूर्व में संचालित MSB Global Law Institute का नाम परिवर्तित कर नया नाम MSB Global Campus किया जाना प्रस्तावित है। यह सुझाव माननीय कुलपति महोदय की तरफ से दिया गया है। MSB Global Law Institute के उपनिदेशक को सभी शैक्षणिक विभागों से बनने वाले MSB Global Campus के अध्यक्ष (Head) का दायित्व अस्थायी तौर पर दिया गया है।	

	निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	उपनिदेशक ग्लोबल कैम्पस
18	एजेण्डा बिन्दु	माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय राजस्थान के आवश्यक निर्देशों के पालनार्थ विश्वविद्यालय के प्रांगण में 26.11.2021 तक संविधान पार्क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु स्टेडियम/जिम्नेजियम सहित संविधान पार्क के लिए संयुक्त रूप से 02 करोड़ की राशि वित्त समिति की दिनांक 03.09.2020 को आयोजित बैठक के बिन्दु संख्या 07 में की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में दिनांक 23.03.2021 को सचिव, राज्यपाल सचिवालय द्वारा आयोजित बैठक में प्रदत्त निर्देशानुसार संविधान पार्क का विकास एवं सौन्दर्यीकरण ज्ञान व पर्यटन के केन्द्र के रूप में किया जाना है जिससे भरतपुर–धौलपुर जिले के विद्यालयी एवं महाविद्यालयी छात्रों को देश के संविधान निर्माण की विरासत से अवगत करा लाभान्वित किया जा सके। इस संदर्भ में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति जारी करते हुए तत्काल टैण्डर जारी किया जाना अपेक्षित है। अनुमोदनार्थ ।	
	निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	प्रभारी संविधान पार्क
19	एजेण्डा बिन्दु	परीक्षा समिति, खेल बोर्ड समिति व डीन स्टूडेन्ट वेलफेयर इत्यादि की समिति की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों को अन्य समितियों में भाग लेने वाले सदस्यों की भाँति सिटिंग चार्ज के रूप में मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रति बैठक रूपये 1500/– दिया जाना निर्धारित किया गया है। बिन्दु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
	निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	परीक्षा, खेल एवं स्टूडेन्ट वेलफेयर
20	एजेण्डा बिन्दु	विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों से बाहर जाने वाले रैक्सको कार्मिकों को डी.ए. के रूप में राशि 350/– का भुगतान किया जाता है जो कि बहुत कम है। साथ ही प्लेसमेन्ट एजेन्सी कार्मिकों को कोई भी भुगतान नहीं दिया जाता है। अतः रैक्सको कार्मिकों व प्लेसमेन्ट एजेन्सी कार्मिकों को डी.ए. के रूप में दिये जाने वाले भुगतान का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।	

	निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों ने सुझाव दिया कि डी.ए. का निर्धारण राज्य सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाए। रैक्सको व प्लेसमेण्ट एजेन्सी की सेवाएँ अभी विश्वविद्यालय में अपरिहार्य हैं अतः उनके लिए भी टी.ए., डी.ए. आदि भत्तों के सन्दर्भ में समिति गठित कर इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर वित्त समिति के माध्यम से आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।	लेखा एवं संस्थापना शाखा
21	एजेण्डा बिन्दु	विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के चहुँमुखी विकास के लिये सह शैक्षणिक गतिविधियों के अन्तर्गत युवा महोत्सव समारोह एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं के आयोजनार्थ आयोजन एवं पुरस्कार हेतु दस लाख रूपये की राशि आवंटित करने हेतु बिन्दु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
	निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों ने इस पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त करते हुए सुझाव दिया कि इसके लिए नियमावली निर्धारित कर आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत की जाय।	प्रभारी स्टूडेन्ट वेलफेयर
22	एजेण्डा बिन्दु	1. भरतपुर एवं धौलपुर जिलों के महाविद्यालयी छात्रों की परीक्षाओं के आयोजन हेतु विभिन्न परीक्षा केन्द्र बनाए जाते हैं। इस हेतु निजी महाविद्यालयों से परीक्षा केन्द्र स्थापना हेतु क्रमशः रू 25000/– (नए केन्द्र) व रू 22000/– (पुराने केन्द्र) शुल्क के रूप में लिए जाते हैं, जबकि राजकीय महाविद्यालयों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। निजी महाविद्यालय संचालक समय समय पर इस शुल्क को समाप्त किये जाने की मांग करते हैं इस विषय पर विचार करते हुए एकरूपता हेतु निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। 2. विश्वविद्यालय में वर्ष पर्यन्त परीक्षाएं चलती हैं। परीक्षा नियंत्रक परीक्षा के गोपनीय कार्यों के समय से सम्पादन के लिए एक वाहन स्थाई रूप से (कार) उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।	
22	निर्णय	(1) प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि परीक्षा नियंत्रक को व्यक्तिगत स्थाई वाहन सुविधा न देतु हुए एजेन्सी के माध्यम से वाहन लेकर उसे परीक्षा व अन्य कार्यों के प्रयोगार्थ "पूल कार" के रूप में प्रयोग किया जाये। (2) सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समस्त परीक्षा केन्द्रों से समरूपता रखते हुए परीक्षा केन्द्र शुल्क रूपये 15000/–(अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार) लिया जाय।	परीक्षा शाखा

23 | एजेण्डा बिन्दु

Proposed fee for the various purposes being paid to Standing Counselor of this University are given below for approval of the Board of Management:-

S.No.	Particulars	Current Fee	Proposed Fee
1.	For complete case in High Court/ State commission for consumer cases.	Rs. 500/- per case	Rs. 1000/- per case
2.	For complete case in Lower Court, Labour Court and Distt. Consumer forum cases	Rs. 300/- per case	Rs. 500/- per case

The aforesaid charges will be payable after filing the reply in the case. No other miscellaneous expenses will be paid to the Advocates except court fee, photo copy charges and obtaining certified copy of court order.

S.No.	Particulars	Current Fee	Proposed Fee
1	Fee for the High Court Cases, State Commission and D.B. Special Appeal in the High Court i. Important Cases ii. Student Cases	Rs. 5,000/- Rs.3,000/-	Rs. 7,000/- Rs. 5,000/-
2	For complete case in Lower Court, Labour Court and dist., Consumer Forum cases	Rs. 300/- per case	Rs. 500/- per case

S.No.	Particulars	Current Fee	Proposed Fee
1	Charges for obtaining the certified copy of the Order/Judgment of the various Courts in the University cases are hereby fixed	Rs. 200/- per case	Rs. 500/- per case

	निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	विधि शाखा

24	एजेण्डा बिन्दु	बी.सी.आई. के द्वारा बी.ए.–एलएलबी. एव बी.बी.ए.–एलएलबी. पाठ्यक्रमों को निरीक्षण के उपरान्त सशर्त मान्यता दी गई, जिसमें शर्तों के अनुसार रू. 2लाख की डिफाल्ट राशि एवं 5 लाख विलम्ब शुल्क की माँग बी0सी0आई0 के द्वारा की गई। पत्रावली के पैरा संख्या 15 दिनांक 15.10.2019 में वित्त नियंत्रक की अनुशंषा एवं पैरा संख्या 16 दिनांक 15.10.2019 में तत्कालीन कुलपति के स्पष्ट आदेश के अनुसार राशि 5 लाख विलम्ब शुल्क स्वरूप बी.सी.आई. को जमा कर पाठ्यक्रम को निर्बाध रूप से संचालित किया गया। विलम्ब शुल्क जमा कर पाठ्यक्रम संचालन सुनिश्चित किये जाने के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
	निर्णय	प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	उपनिदेशक ग्लोबल कैम्पस
1	**सप्लीमेन्ट्री एजेण्डा**	विश्वविद्यालय के एक्ट के सेक्शन 25 (1) के 'घ' की पालना में प्रबन्ध–मण्डल द्वारा इसके अशासकीय सदस्यों में से एक सदस्य को विश्वविद्यालय की वित्त समिति का सदस्य मनोनीत किया जाना है, जिसकी पदावधि दो वर्ष की होगी। इस हेतु माननीय सदस्य डॉ0 रमेश चन्द्र पाठक का नाम माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रस्तावित है।	
	निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	लेखा शाखा
2	**सप्लीमेन्ट्री एजेण्डा**	राज्यपाल सचिवालय जयपुर के निर्देशों की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा एक स्मार्ट मॉडल की स्थापना राजभवन जयपुर में करवायी जानी है। इस सम्बन्ध में सचिव एवं विशेषाधिकारी द्वारा स्मरण निर्देश प्रदान किये गये हैं। इस बाबत 10 लाख रूपये की राशि के व्यय का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राशि मा0 कुलपति महोदय के निर्देशों से व्यय की जा सकेगी।	
	निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	प्रभारी संविधान पार्क
3	**सप्लीमेन्ट्री एजेण्डा**	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कतिपय महाविद्यालयों के द्वारा सम्बद्धता प्रक्रिया के साथ लिये जाने वाले जी.एस.टी. शुल्क तथा प्रतिवर्ष सम्बद्धता शुल्क में की जाने वाली 10 प्रतिशत शुल्क अभिवृद्धि के विरोध में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में विगत 2 सत्रों से निरन्तर परिवाद दायर किये गये हैं। जी.एस.टी. लिये जाने के सम्बन्ध में राय तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा सी.ए. से ली गई थी। (i) समान प्रकरण के कोर्ट केसों के सम्बन्ध में वर्तमान कुलपति महोदय द्वारा विधिक राय विश्वविद्यालय के अनुबन्धित एडवोकेट से चाही गई। जिस पर एडवोकेट द्वारा लिखित राय प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन परिवादों में संज्ञान	

		लेते हुये Stay Orders प्रदान किये गये हैं तथा इनके आलोक में अन्तिम निर्णय होने तक महाविद्यालयों से जी.एस.टी. शुल्क नहीं लिया जाये। इसके अतिरिक्त सभी महाविद्यालय शपथ–पत्र प्रस्तुत करें कि न्यायालयी निर्णय जी.एस.टी. शुल्क जमा करने के पक्ष में आने पर महाविद्यालय यह शुल्क जमा करेंगे। (ii). कोरोना की विषम परिस्थितियों के मद्देनजर प्रतिवर्ष सम्बद्धता शुल्क में ली जाने वाली 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि इस सत्र (2021–22) में नहीं किया जाना प्रस्तावित है।	
	निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	प्रभारी सम्बद्धता
4	**सप्लीमेन्ट्री एजेण्डा**	महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए लिया जाने वाला शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा नहीं लिया जाना प्रस्तावित है। इसके स्थान पर NAAC व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी संस्थाओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप व्यवस्था किया जाना उचित होगा, जिसके अनुसार निरीक्षण दल के सदस्यों को मानदेय तथा T.A. & D.A. का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा। मानदेय प्रति निरीक्षक प्रति निरीक्षण 1000 रूपये से बढ़ाकर 2500 रूपये किया जाना प्रस्तावित है। मानदेय विश्वविद्यालय द्वारा तय नियमानुसार देय होगा।	
	निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	प्रभारी सम्बद्धता
5	**सप्लीमेन्ट्री एजेण्डा**	जिन महाविद्यालयों ने अपने प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ के चयन का अनुमोदन पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा करवाया था उन्हें यह अनुमोदन महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर से करवाना होगा।	
	निर्णय	आवश्यक मानते हुए अनुमोदन किया गया तथा शीघ्र ही इसे पूर्ण किए जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी सम्बद्धता
6	**सप्लीमेन्ट्री एजेण्डा**	प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ के चयन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रांगण में कराना प्रस्तावित है। इस प्रक्रिया की व्यवस्था हेतु विश्वविद्यालय अतिथि भवन के कमरे, बरामदा व डाइनिंग हॉल तय राशि का भुगतान कर बुक कराये जा सकेंगे। प्राप्त राशि एक पृथक बैंक एकाउन्ट में जमा कराई जा सकेगी। इस राशि व इस पर प्राप्त ब्याज का उपयोग अतिथि भवन की व्यवस्था सुचारू करने व मेन्टेनेन्स में किया जा सकेगा।	
	निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	प्रभारी अतिथि गृह
7	**सप्लीमेन्ट्री एजेण्डा**	सम्बद्धता हेतु आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।	
	निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	प्रभारी सम्बद्धता
8	**सप्लीमेन्ट्री एजेण्डा**	नवीन महाविद्यालयों को सम्बद्धता हेतु आवेदन करने के समय आयुक्तालय से एन.ओ.सी. प्राप्त करना आवश्यक होगा। एन.ओ.सी. के अभाव में सम्बद्धता के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।	

	निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	प्रभारी सम्बद्धता
9	सप्लीमेन्ट्री एजेण्डा	माननीय कुलपति महोदय के प्रयोग हेतु पूर्व में क्रय किये गये वाहन संख्या RJ- 05- 4389 के 07 साल पुराने हो जाने एवं लगभग डेढ़ लाख किमी. चलने के कारण वाहन की दशा खराब हो जाने के कारण मा0 कुलपति महोदय को आवागमन में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में नया वाहन खरीदा जाना प्रस्तावित है। पुराने वाहन को विश्वविद्यालय के कार्य हेतु पूल वाहन के रूप में उपयोग में लिया जा सकेगा।	
	निर्णय	सभी सदस्यों ने मा0 कुलपति के प्रयोगार्थ नये वाहन क्रय किए जाने तथा पुराने वाहन को स्टाफ हेतु पूल वाहन के रूप में प्रयोग में लिए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय किया।	प्रभारी संस्थापना
1	टेबल एजेण्डा	विश्वविद्यालय के कर निर्धारण वर्ष 2018–19 वित्तीय वर्ष 2017–18 की आयकर विवरणी दिनांक 30.09.2018 को दाखिल की गई । कर निर्धारण का आदेश दिनांक 29.03.2021 के अन्तर्गत धारा 143(3) सहपठित धारा 143(3ए) एवं 143(3बी) के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है। जिसमें टी. डी. एस. की राशि 68,341 रू कम करते हुए शृद्ध देय कर की राशि 9,21,93,530/– का मांग पत्र प्राप्त हुआ है। कर सलाहकार मैसर्स त्रिलोक जैन एण्ड कम्पनी द्वारा सुझाव दिया गया है कि बकाया मांग पर लगभग 12 प्रतिशत ब्याज आयकर विभाग द्वारा लिया जावेगा और यदि भविष्य में रिफण्ड की स्थिति बनती है तो आयकर विभाग 05 प्रतिशत की दर से भुगतान करेगा । इस प्रकार यदि अपील में हम सफल होते है तो हमें रिफण्ड के साथ एफ. डी. आर. के मुकाबले अधिक ब्याज मिलने की संभावना होगी। अतः मांग राशि मांगपत्रानुसार जमा कराये जाने के बाबत, प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अवलोकन एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
	निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	लेखा शाखा
2	टेबल एजेण्डा	प्रबन्ध मण्डल की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों हेतु पूर्व में सिटिंग चार्ज 3,000/– रूपये तय किया गया था। माननीय कुलपति महोदय के प्रस्तावानुसार बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों को 4000/– रूपये मानदेय, 1000/– रूपये सिटिंग चार्ज दिया जाना उचित है। इसके अतिरिक्त बैठक के लिए जिला मुख्यालय से बाहर से आने वाले सदस्यों को आगमन यात्रा एवं वापसी यात्रा व्यय हेतु अतिरिक्त 2000/– रूपये (1000+1000) दिया जाना प्रस्तावित है। प्रबन्ध मण्डल की बैठक में ऑनलाइन प्रतिभाग करने वाले सदस्यों को 1000/– रूपये सिटिंग चार्ज दिया जाना प्रस्तावित है।	
	निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	अकादमिक एवं लेखा शाखा

सदस्य सचिव द्वारा मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रो. राजेश कुमार सिंह धाकरे)
कुलपति

(राजूलाल गुर्जर)
कुलसचिव